



सं. मानू/संपदा/एफ.146/2023-24/42

25 जुलाई, 2023

आदेश

विषय: अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य पूल आवासीय आवास(जीपीआरए) के लिए लाइसेंस शुल्क की फ्लैट दर में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ : 1. दिनांक 10.07.2023, कार्यालय ज्ञापन सं.18011/2/2015-Pol.-III, उप निदेशक संपदा (नीति)  
2. दिनांक : 24.07.2023 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

\*\*\*

संपदा निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन सं.18011/2/2015-Pol.III दिनांक 10.07.2023 देखें कि अखिल भारतीय स्तर पर दिनांक 01.07.2023 से सामान्य पूल आवासीय आवास के लिए लाइसेंस शुल्क की फ्लैट दरों में संशोधन किया है। तदनुसार, मानू स्टाफ क्वार्टर के लिए लाइसेंस शुल्क की फ्लैट दरों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

क्रम.सं.	आवास का प्रकार	वर्ग मीटर में रहने वाले क्षेत्र की सीमा	तत्काल प्रभाव दिनांक : 01.07.2023 से लाइसेंस शुल्क की संशोधित दर
1.	टाइप- II	42.62	₹.440.00
2.	टाइप-III	50.76	₹.660.00
3.	टाइप-IV	71.77	₹.880.00
4.	टाइप- IV(एलक्यू)	98.96	₹.1,650.00
5.	टाइप- V बी	158.60	₹.1,750.00
6.	टाइप- VI बी	173.88	₹.2,590.00

उपरोक्त फ्लैट दरों पर लाइसेंस शुल्क दिनांक: 01.07.2023 से लागू होंगी।

*(Handwritten Signature)*

सहायक कुलसचिव  
संपदा एवं परिवहन

प्रतिलिपि :

1. वित्त अधिकारी
2. निदेशक, मानू, सीआईटी, मानू वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
3. कुलपति कार्यालय
4. कुलसचिव कार्यालय
5. इंजीनियरिंग अनुभाग
6. संबंधित फाइल